[†] **جناب نذیر احمد لوائے :** ڈپٹی چیئرمین صاحب، ہماری جموں کشمیر کی جو ہیک-بون ہے ، وہ horticulture ہے۔ میں آپ کی وساطت سے منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسکل ڈیولپمینٹ وبھاگ کی طرف سے horticulture کو boost کرنے کےلئے کوئی سسٹم ہے کوئی یوجنا ہے، جس کے تحت وہاں کے بچوں کو horticulture میں ٹرین کیا جائے؟

डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय: महोदय, हमने स्किलिग सिस्टम में मॉर्डन एग्रीकल्चर के लिए भी प्रोग्राम डाले हुए हैं और उसके लिए भी हम लोगों को train कर रहे हैं।

Subsidy on Food

*287. SHRI MANAS RANJAN BHUNIA: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government has been giving subsidy on food to the different States;

(b) if so, the amount of subsidies on food for the year 2017-18, 2018-19, 2019-20 till May, 2019; and

(c) the amount of subsidies given to Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh and West Bengal during the above periods?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DANVE RAOSAHEB DADARAO): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Food Subsidy is given by the Department of Food and Public Distribution to the Food Corporation of India (FCI) and directly to States in case of Decentralized Procurement (DCP) States on the basis of quantity of foodgrains procured and distributed under National Food Security Act (NFSA) and Other Welfare Scheme (OWS).

Details of food subsidy released to FCI and DCP States in 2017-18, 2018-19 and 2019-20 (till May, 2019) are as under:

†Transliteration in Urdu Script.

(₹ in crore)

Year	Food Subsidy Released		
	FCI	DCP States	Total
2017-18	101981.69	38000.00	139981.69
2018-19	140098.00	31029.485	171127.485
2019-20 As on 31st May, 2019	67000.00	10311.15	77311.15

This includes NSSF loan of ₹40,000 crore and ₹ 70,000 crore to FCI in 2017-18 and 2018-19 respectively.

(c) Bihar, Madhya Pradesh, and West Bengal are DCP States and as such theses States receive food subsidy directly from Government of India. Uttar Pradesh and Rajasthan are non DCP States and so these States lift foodgrains from FCI at Central Issue Price (CIP) for distribution under NFSA and Other Welfare Schemes (OWS). DCP States also lift foodgrains, if required, from FCI to supplement their requirement for NFSA and OWS at CIP.

Details of food subsidy released to DCP States *viz;* Bihar, Madhya Pradesh and West Bengal during 2017, 2018-19 and 2019-20 (till May, 2019) are as under:

(in ₹ crore)

State	2017-18	2018-19	2019-20 till May, 2019
Bihar	4535.11	2291.68	175.25
Madhya Pradesh	8113.23	6026.97	921.67
West Bengal	2042.30	3279.69	1813.26

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA: Sir, the Government of India has been providing subsidy for food to States under different categories, number one, Decentralized Procurement States and direct subsidy benefit to the different States, including, Uttar Pradesh and others through FCI and other agencies. Sir, it appears from the statement that there is huge difference in subsidy amount released in the year 2017-18, 2018-19 and 2019-20 till May, including my State of West Bengal where it is also varying from

2017-18 to 2018-19; and I am not taking into account the current year up to May. My question to the hon. Minister is: What are the reasons for difference in allocating subsidy to the States in different years?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो पूछा, वह बात सही है। सब्सिडी दो तरह की होती है, एक तो डीसीपी स्टेट और दूसरा नॉन-डीसीपी स्टेट। जो डीसीपी स्टेट होते हैं, वहां राज्य खरीदी करता है और जो नॉन-डीसीपी स्टेट होते हैं, वहां एफसीआई खरीदी करता है। अब सम्मानित सदस्य महोदय ने पूछा कि खरीदी पर यह कटौती क्यों है, अंतर क्यों है? महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार जितनी खरीदी करती है और जितनी मांगती है, उतनी सब्सिडी हम राज्य सरकार को देते हैं और एफसीआई जितनी खरीदी करती है, उतनी सब्सिडी केन्द्र सरकार एफसीआई को देती है। जितन मांगा जाता है, उतना ही दिया जाता है, इसलिए यह अंतर दिखता है।

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA: Sir, we all know that the State of West Bengal has suffered the problem of Left Wing Extremism for long years, but our Government, headed by Madam Mamata Banerjee, has contained it and Left Wing Extremism has been reduced to very low levels. For that reason, our State is providing a special package...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA: Sir, I am putting the question. This is our august House and I wish to seek certain answers from the hon. Minister.

श्री उपसभापति: आप सवाल पूछिए।

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA: Sir, where States have got problems of Left Wing Extremism and other problems, the State Governments are providing subsidy on food over and above the provisions made under the national Food Security Act. What is the Government's stand as far as the Government of West Bengal is concerned? Would they grant extra subsidy to our State?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: उपसभापति महोदय, पश्चिमी बंगाल सरकार की ऐसी कोई माँग नही है कि हमसे इससे ज्यादा खरीदे। अगर राज्य सरकार माँग करती है, तो केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री उपसभापति: प्रो. राम गोपाल यादव ...**(व्यवधान)**... मंत्री जी, आप पूछिए।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान): सर, इस प्रश्न के दो अंश हैं। एक सब्सिडी का मामला है। सब्सिडी के मामले में शान्ता कुमार कमिटी की रिपोर्ट

में कहा गया था कि जो राज्य अधिक से अधिक पैदावर कर सकें, हमें उन राज्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश है, वहाँ बहुत प्रगति हुई। वहाँ अब 50 लाख टन तक खरीद हो गई है। यदि हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 84 लाख टन देना है और उसमें से घटता जा रहा है, तो यह एक अच्छी बात है। सर, दो तरह के स्टेट्स होते हैं। एक डीसीपी स्टेट है, जहाँ राज्य सरकारें खरीदती हैं और जितना खरीदती हैं, हम उतना पैसा उन्हें दे देते हैं, बाकी अनाज देने का काम करते हैं। डीसीपी स्टेट कौन-सी हैं, यह हम तय नही करते हैं। कई माननीय सदस्य कहते हैं कि एफसीआई क्यों खरीद नही करती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एफसीआई नॉन डीसीपी स्टेट्स से खरीद करती है, लेकिन यदि कोई स्टेट कहेगा कि हम डीसीपी स्टेट हैं, हम ही कर लेंगे, तो हम यह उनके ऊपर छोड़ने का काम करते हैं। जहाँ तक सब्सिडी का मामला है, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग सब्सिडी है। हमेशा उसी दर से काम होता है। आपने पश्चिमी बंगाल के लिए कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह हम तय नही करते हैं कि कितने लोग फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत हैं, हम 81 करोड़ लोगों को देते हैं। उन 81 करोड़ लोगों को दो रुपए किलो गेहूं, तीन रुपए किलो चावल पिछले छः साल से दे रहे हैं। ...(व्यवधान) ...

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी कृपया संक्षेप में उत्तर दें। **...(व्यवधान)...**

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA: Sir, this is very important. Let him speak.

MR. DEPUY CHAIRMAN: All questions are important.

श्री रामविलास पासवान: सर, अभी हम 8 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। हालांकि, इसका तीन साल में रिव्यू होना था, लेकिन हमने रिव्यू नही किया, हम अभी भी उतना ही दे रहे हैं। हम पिछले पाँच साल से देते आ रहे हैं। कितना देना है, किन लोगों को देना है, यह संख्या नीति आयोग तय करता है और किन लोगों को देना है, यह राज्य सरकार तय करती है।

प्रो. राम गोपाल यादव: श्रीमन्, इस प्रश्न के 'ग' भाग में पूछा गया है कि उपर्युक्त अवधि में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में कितनी - कितनी धनराशि की सहायता दी गई है? मैं जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश एक नॉन डीसीपी स्टेट है, लेकिन सवाल के जवाब में उत्तर प्रदेश को कितनी सहायता दी गई है, यह आना चाहिए था, चाहे वह सहायता आप एफसीआई के जरिए दे रहे हों या किसी और जरिए से दे रहे हों। इस सवाल में उत्तर प्रदेश के बारे में कोई ज़िक्र नही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आप नॉन डीसीपी स्टेट्स को कुछ सहायता देते हैं या नही? अगर देते हैं, तो उत्तर प्रदेश को कितनी सहायता दी? यह पूछने के बाद भी यह जवाब में नही है।

श्री रामविलास पासवान: सर, इस प्रश्न में इन्होंने पूछा है कि इस अवधि में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में कितनी-कितनी सहायता दी गई है? हमारे पास हर स्टेट के आंकड़े हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में कितनी खरीद

हुई है और कितना उत्पादन है, उसके बारे में आँकड़ा हमारे पास है और वह हम आपको एक मिनट में निकालकर दे देंगे।

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल: सर, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे मौका दिया। इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में ऐसे कितने राज्य हैं, जो डीसीपी राज्य के अंतर्गत आते हैं? गुजरात डीसीपी राज्य के अंतर्गत आता है या नही आता है?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: उपसभापति महोदय, चावल के लिए 15 राज्य और गेहूँ के लिए 7 राज्य, यानी कुल 22 राज्य डीसीपी और नॉन-डीसीपी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो राज्य डीसीपी के अंतर्गत आते हैं, उनमें गुजरात शामिल नही है।

DR. AMEE YAJNIK: Sir, I want to ask, through you, to the hon. Minister one question. Does the Ministry have any concrete plan to deal with food losses and food waste? You have mentioned that food subsidy is given by the Department of Food and Public Distribution to the Food Corporation of India. Is there any plan to address the hunger by using some changing strategies or by using technologies because there is a lot of food waste and food loss in the system of public distribution? Is there any concrete immediate plan to deal with this issue?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: उपसभापति महोदय, माननीया सदस्य ने सही प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न पहले भी कई बार पूछा गया था। मैं बताना चाहता हूँ कि एफसीआई के पास जितनी भी खरीद होती है, उसके रख-रखाव के लिए आज हमरे पास पूरा बन्दोबस्त है और आज की तारीख में ऐसा कोई अनाज नहीं है, जो सड़ रहा हो या खराब हो रहा है।

Installation of upgraded integrated security system at railway stations

*288. SHRI RANJIB BISWAL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number, of sensitive railway stations in the country, as on date;

(b) whether Government has received complaints of inadequate security to the passengers on such I railway stations during each of the last three years and the current year, if so, the details thereof;

(c) whether Government has installed the upgraded Integrated Security System (ISS) on such railway stations to provide adequate security to the passengers, if so, the details thereof; and

(d) the other corrective steps taken by Government in this direction?